

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

पटना दिनांक १९-०६-१७

विषय:- सहरसा जिला के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्रांक-२९६६, दिनांक-०३.१२.२०१६ के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने श्री विनय कुमार सिंह, अधिवक्ता, पंजीयन सं०-८५४/१९८२ सहरसा को सहरसा जिला के लिए उनके द्वारा पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिये, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्षमान रूप में होगा, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

२. उनकी नियुक्ति का आदेश समाहर्ता द्वारा श्री विनय कुमार सिंह को अग्रसारित करने के लिए संलग्न किया जाता है।

३. नियुक्ति के उक्त आदेश की एक प्रति आपके कार्यालय में अभिलेख हेतु भी संलग्न किया जा रहा है।

४. महालेखाकार, बिहार को अलग से सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजत

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ३५९८/जे०, पटना, दिनांक १९-०६-१७

प्रतिलिपि:- श्री विनय कुमार सिंह, अधिवक्ता, सहरसा को सहरसा जिला के लिए सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति के आदेश की प्रति संलग्न सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा/समाहर्ता, सहरसा तथा महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ३५९८/जे०, पटना, दिनांक १९-०६-१७

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ३५९८/जे०, पटना, दिनांक १९-०६-१७

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री विनय कुमार सिंह,
अधिवक्ता,
व्यवहार न्यायालय, सहरसा ।

पटना दिनांक 29-6-17

महाशय,

मुझे कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने आपको सहरसा जिला के लिए आपके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्यमान रूप में होगा, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

2. इसके लिए सिर्फ समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण शुल्क एवं दैनिक शुल्क देय होगा।

3. सरकारी वकील के रूप में आपके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) सहरसा जिला से संबंधित मामलों में बिहार सरकार तथा भारत सरकार के विभागाध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों को कानूनी परामर्श देना।

(ख) सहरसा जिला के उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष राज्य एवं संघ सरकार अथवा उनके संबंधित पदाधिकारियों का जिलान्तर्गत उपस्थित होने वाले सभी कानूनी विषयों में प्रतिनिधित्व करना है।

(ग) उक्त अवधि में आपको सहरसा जिला के दीवानी न्यायालयों में सभी दीवानी मुकदमों में सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही आपको सहरसा जिलान्तर्गत सरकारी वकील के अन्य प्रासंगिक कर्तव्यों का भी अनुपालन करना है।

(ध) किसी भी न्यायालय में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे।

विश्वासभाजने
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।
11/11/17
29/6/17